भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3058

06.08.2021 को उत्तर के लिए

बाघों की संख्या में गिरावट

3058. श्री अरविंद सावंत:
श्री भर्तृहरी महताब:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के सतकोसिया बाघ रिज़र्व (एसटीआर) सहित देश में बाघों की घटती संख्या पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा छत्तीसगढ़ सहित देश में वर्तमान में बाघों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा देश में बाघों का संरक्षण करने और अवैध शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और किन योजनाओं को लागू किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार बाघ संरक्षण योजना के लिए निधियां बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : वर्ष 2006 में परिष्कृत पद्धति का प्रयोग करके अखिल भारतीय बाघ आकलन के प्रथम चक्र के बाद से बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो आकलन बाद में चार - चार वर्षों के अंतराल पर वर्ष 2010, 2014 और 2018 में किया गया, जिसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। सतकोसिया बाघ रिज़र्व में बाघों की संख्या का घनत्व कम है, जिसमें और बाघों को रखने की क्षमता है।

(ग) : बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें **अनुबंध-II** में दी गई हैं। बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए राज्यों को वर्तमान में चल रही बाघ परियोजना नामक केंद्र-प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) : अन्य योजनाओं और राज्य सरकारों के पास उपलब्ध संसाधनों के साथ तालमेल बनाते हुए बजट आवंटन में सुरक्षा, निगरानी और पारिस्थितिकीय विकास संबंधी कार्यकलापों को अधिकतम करने को प्राथमिकता दी जाती है।

*****

अनुबंध-I

'बाघों की संख्या में गिरावट' के संबंध में दिनांक 06.08.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अताराकिंत प्रश्न सं. 3058 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2006, 2010, 2014 और 2018 के लिए देश में बाघ परिदृश्यों के संबंध में बाघों की संख्या के अनुमान का ब्यौरा

राज्य	बाघों की संख्या			
	2006	**2010**	**2014**	**2018**
शिवालिक - गांगेय मैदानी भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स				
उत्तराखंड	178	227	340	442
उत्तर प्रदेश	109	118	117	173
बिहार	10	8	28	31
शिवालिक गांगेय	**297**	**353**	**485**	**646**
मध्य भारत भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स तथा पूर्वी घाट भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स				
आंध प्रदेश	95	72	68	48
तेलंगाना	-	-	-	26
छत्तीसगढ़	26	26	46	19
मध्य प्रदेश	300	257	308	526
महाराष्ट्र	103	169	190	312
ओडिशा	45	32	28	28
राजस्थान	32	36	45	69
झारखंड	-	10	3*	5
मध्य भारत	**601**	**601**	**688**	**1033**
पश्चिमी घाट भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स				
कर्नाटक	290	300	406	524
केरल	46	71	136	190
तमिलनाडु	76	163	229	264
गोवा	-	-	5	3
पश्चिमी घाट	**412**	**534**	**776**	**981**
पूर्वोत्तर पहाड़ी और ब्रहमपुत्र के बाढ़ का मैदान				
असम	70	143	167	190
अरूणाचल प्रदेश	14	-	28**	29
मिजोरम	6	5	3*	0
नागालैंड	-	-	-	0
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10	-	3*	0
पूर्वोत्तर पहाड़ी और ब्रहमपुत्र	**100**	**148**	**201**	**219**
सुंदरवन	-	70	76	88
कुल	**1411**	**1706**	**2226**	**2967**

*स्कैट डीएनए से

**कैमरा ट्रैप आंकड़े और स्कैट डीएनए से

***

अनुबंध-II

'बाघों की संख्या में गिरावट' के संबंध में दिनांक 06.08.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अताराकिंत प्रश्न सं. 3058 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें:

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, धारा 38 IV ख के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 IV ग के अंतर्गत बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया।

2. बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा बाघ रिजर्व में शिकार संबंधी अपराध या बाघ रिजर्व की सीमा में परिवर्तन, आदि संबंधी अपराध के मामले में दण्ड को बढ़ाया गया है।

3. बाघ परियोजना के लिए और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 1(ग) के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

4. संचार तथा बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को मिलाकर गठित कार्यबल की तैनाती के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों या होमगार्डों को शामिल करके गठित अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती हेतु बाघ रिज़र्व वाले राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के दौरान गश्त के लिए बनाई जाने वाली विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण।

5. श्रीविलिपुत्तूर मेगामलई बाघ रिज़र्व (तमिलनाडु) को दिनांक 08.02.2021 को देश के 51वें बाघ रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

6. बाघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य पद्धति तैयार कर उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन तथा मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए मानदंड हैं।

7. वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत, 18 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 51 बाघ रिजर्वों के कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (40787.16 वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (32978.43 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए गए हैं।

8. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि "बाघ परियोजना" और "वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

9. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल होने के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ भी एक द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।

10. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

11. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया है। बाघों से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए, दिनांक 4.12.2018 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और ए.एन सेवरस्तोब पारिस्थितिकी एवं मूल्यांकन संस्थान के बीच त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई और उस पर हस्ताक्षर किए गए।

12. भारत, बाघ संरक्षण से संबंधित अंतराष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का संस्थापक सदस्य है।

13. भारत गणतंत्र की सरकार और म्यानमार यूनियन गणतंत्र की सरकार के बीच दिनांक 27 फरवरी, 2020 को इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार से निपटने तथा बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

14. अगस्त, 2019 में जेनेवा में आयोजित 18वें सीओपी के दौरान, भारत द्वारा किए गए हस्तक्षेप के आधार पर, निर्णय 14.69 के सुदृढ़ीकरण के रूप में, उन भू-भागों में, जहां बाघों को संरक्षित करने की सुविधाएं हैं, कार्रवाई करने हेतु कई निर्णयों को अंगीकृत किया गया।

15. तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 एएमसी), नई दिल्ली में 12-14 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "बाघों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है" से प्रेरित होकर वर्ष 2022 तक जंगलों में बाघों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए बाघ वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि :

- वैश्विक बाघ बहाली कार्यक्रम (जीटीआरपी)/राष्ट्रीय बाघ बहाली कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे,** प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे तथा पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।
- बाघ संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और बाघ संरक्षण को साथ-साथ लेकर चलेंगे,** जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में बाघ और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मजबूत अनुबंध।
- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल** करेंगे।
- बाघ पर्यावासों को **पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में** प्रचार करने के द्वारा इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- बाघों को पुन: छोड़े जाने तथा उनके पर्यावासों और शिकार को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए **कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या की पुनर्बहाली** करेंगे तथा ऐसे क्षेत्रों में पुन:बहाली करेंगे, जहां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कम करने, बाघ उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़** करेंगे।
- प्रबंधन प्रभाविता में सुधार करने के लिए **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझा करने तथा क्षमता विकास में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित **प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएंगे।**

16. 90% केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित काजीरंगा (असम) की वर्तमान बाघ परियोजना की वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 60% केन्द्रीय सहायता से 13 प्रारंभिक रूप से चयनित बाघ रिजर्वों में से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच, तदोबा-अंधारी, नवेगांव-नागजीरा, मेलघाट), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलीपाल) राज्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) कार्यरत किए गए हैं।

17. रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो व्यापक बाघ संरक्षण योजना में शिकार-रोधी रणनीतियों के लिए आधार तैयार करते हैं।

18. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाघ बहुल राज्यों के साथ निधि प्रवाह से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्यान्वयन करना।

19. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मानीटरिंग सिस्टम फार टाइगर्स' इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट्स (M-STrIPES) शुरू करने के अलावा, अवसरंचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स एपलिकेशन को तीन भिन्न माड्युल नामश: गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रायड आधारित बनाया गया है।

20. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाकर फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए पहल की गई ।

21. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुननिर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रुप में उनमें नए बाघों और बाघिनों को लाने का कार्य किया गया है। पन्ना में वन्य बाघों को सफलतापूर्वक लाया जाना एक अद्‌वितीय और विश्व में अपने प्रकार का पहला कार्य है और लाई गई बाघिनें प्रजनन कर रही हैं। इसी तर्ज पर, राजाजी बाघ रिज़र्व उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में भी बाघों को पुन: लाया गया है।

22. राष्ट्र स्तरीय बाघ स्थिति आकलन का चौथा चरण, वर्ष 2018 में पूरा हुआ जिसके निष्कर्षों में बाघों की संख्या में वृद्‌धि का संकेत करते हुए उनकी अनुमानित सं. 2967 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 2603 और 3346) है। जबकि वर्ष 2014 के पिछले राष्ट्र स्तरीय अनुमान के अनुसार इनकी अनुमानित संख्या 2226 (निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1945 और 2491 बाघ) थी, वर्ष 2010 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1706 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 1507-1896) थी और वर्ष 2006 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1411 (निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1165 और 1657) थी। इस समय, बाघ परियोजना (18 राज्यों के 51 बाघ रिजर्वों में फैले देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.24% में) के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, विश्व के 13 बाघ क्षेत्र वाले देशों में से बाघों की संख्या और उनके स्रोत क्षेत्रों का लगभग 75% भारत के पास है।

23. अधिक ऊंचाई वाले भू-परिदृश्यों में बाघों की मौजूदगी का आकलन करने हेतु, वैश्विक बाघ फोरम के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गई है।

24. जुलाई, 2019 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 50 बाघ रिजर्वों के लिए 2018 में संशोधित किए गए मानदंडों पर आधारित स्वतंत्र मूल्यांकन का चौथा चरण शामिल था। 50बाघ रिजर्वों में से 21 को 'बहुत अच्छा', 17 को 'अच्छा' और 12 को 'साधारण' रेटिंग दी गई थी।

25. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

26. अधिकारियों और विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करके 8 विषयगत क्षेत्रों में उस क्षेत्र की वर्तमान की चुनौतियों से उचित तरीके से निपटने हेतु मानक प्रचालन कार्याविधियां (एसओपी) जारी की गई हैं:-

i. बाघ की मौत की घटना का समाधान करना।
ii. बाघों के मानव-बहुल परिदृश्य में भटक जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल से निपटना।
iii. बाघ/तेंदुए के शवों/शरीर के निपटान हेतु।
iv. जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/जख्मी बाघों के कल्याण हेतु।
v. पशुधन पर बाघ हमलों से निपटने के लिए।
vi. साझा सीमा वाले बाघ रिजर्वों के बीच अंतरराज्यीय समन्वय हेतु।
vii. लैंडस्केप स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन हेतु।
viii. बाघ रिज़र्वों में आवारा/घातक कुत्तों से निपटना।

27. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर शुरू करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग कर बाघों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और अलग-अलग बाघों के फोटों कैप्चर संबंधी आंकड़े तैयार करना।

28 अलग-अलग बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी का सृजन किया गया है।

29. आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना।

30. कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में पायलट ई-निगरानी परियोजना पूरी होने पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) में और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) के आस-पास 24x7 ई-निगरानी संस्थापित करने हेतु (100%) केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

31. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से सोलह बाघ आरक्षित क्षेत्रों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है जिसका उद्‌देश्य उनके द्‌वारा प्रदत्त पारिस्थितिकीय सेवाओं के मूल्य और जलवायु परिवर्तन उपशमन में उनकी भूमिका का आकलन करना है।

32. टीईआरआई के साथ सहयोग करके बाघ संरक्षण फाउंडेशनों तथा स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु कार्बन पृथक्करण के मुद्रीकरण के संबंध मे एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की गई1

33. क्षेत्र स्तर के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु मानव-रहित वायुयानों के संचालन के लिए परामर्शिका जारी की गई है।

34. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गांगेय मैदानी भू-परिदृश्यों के बाघ रिजर्वों में और उनके आस-पास की स्थिति, सघनता एवं वनावरण में परिवर्तन का आकलन किया गया।

35. सुंदरवन में बाघ स्थिति के आकलन पर बांग्लादेश की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

36. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने बाघ रिजर्वों में ऑन-लाइन बाघ/वन्यजीव अपराध ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित किया है।

37. सभी बाघ रिजर्वों में कार्यान्वयन के लिए एनटीसीए के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित सुरक्षा लेखापरीक्षा कार्यढांचे को मान्य किया गया है। इस कार्यढांचे के माध्यम से 25 बाघ रिजर्वों का उनके सुरक्षा प्रोटोकॉलों के संबंध में आकलन किया गया है।

38. बाघ रिज़र्वों से बाहर बाघ प्रजनन वाले क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने हेतु, सीए/टीएस (सुनिश्चित संरक्षण/बाघ मानक) फ्रेमवर्क-एक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन लागू किया गया है। सीए/टीएस प्रमाणन से प्रत्यायित 3 स्थल भारत में हैं नामत: उत्तराखंड में रामनगर और लैंसडाउन वन प्रमंडल तथा पश्चिम बंगाल में 24 दक्षिण परगना। अब सीए/टीएस को बाघ रिज़र्वों तक विस्तारित किया गया है और 14 स्थलों नामत: मानस, काजीरंगा, औरांग, सतपुड़ा, पेंच (महाराष्ट्र), कान्हा, पन्ना, वाल्मिकी, दुधवा, परांबिकुलम, मुदुमलई, बांदीपुर, अन्नामलई और सुंदरवन बाघ रिजर्वों को हाल ही में सीए/टीएस से प्रत्यायित किया गया है।

*****

अनुबंध-III

'बाघों की संख्या में गिरावट' के संबंध में दिनांक 06.08.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अताराकिंत प्रश्न सं. 3058 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान में चल रही केंद्र-प्रायोजित स्कीम 'बाघ परियोजना' के तहत राज्यों को प्रदत्त निधीयन सहायता का ब्यौरा

क्रम. सं.	राज्य	2018-19 (लाख रूपए में)	2019-20 (लाख रूपए में)	2020-21 (लाख रूपए में)
1	आंध्र प्रदेश	217.99	114.48	266.51
2	अरूणाचल प्रदेश	929.76	846.31	803.76
3	असम	1919.62	2198.76	2513.90
4	बिहार	570.90	562.84	628.89
5	छत्तीसगढ़	536.14	358.53	471.16
6	झारखंड	367.00	1432.07	128.45
7	कर्नाटक	2267.43	2252.03	2118.01
8	केरल	653.03	607.07	402.88
9	मध्य प्रदेश	5343.89	3501.91	2551.26
10	महाराष्ट्र	11049.59	7220.39	3098.03
11	मिजोरम	318.84	337.70	161.53
12	ओडिशा	1022.32	1303.32	680.07
13	राजस्थान	791.83	1203.19	1008.89
14	तमिलनाडु	2366.82	1586.91	1336.14
15	तेलंगाना	1115.65	359.91	351.97
16	उत्तराखंड	685.34	1242.49	1671.30
17	उत्तर प्रदेश	1417.26	2289.18	923.29
18	पश्चिम बंगाल	719.01	758.47	333.96
19	नागालैंड (चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ संख्या अनुमान)	24.86	0.00	0.00
	कुल	**32317.28**	**28175.56**	**19450.00**

***